पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुंतला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2022

अनवान :

1. अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. मजीद पुत्र स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:—

वादीगण

बनाम

1 बिमला पत्नी स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2 शकीला पुत्री स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3 जवैदा पुत्री स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4 राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 284/450 के खसरा नं0 665 की 3.7320 है0 कुल खसरा एक की कुल 3.7320 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता मनफुल खां पुत्र मारखां के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वादभूमि में वादी सं0 1 अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां व वादी सं0 2 मजीद पुत्र स्व0 मनफूल खां 1/2—1/2 वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुंतला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2022

अनवान :

1. अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. मजीद पुत्र स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1 बिमला पत्नी स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2 शकीला पुत्री स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3 जवैदा पुत्री स्व0 मनफूल खां जाति धोबी मुसलमान निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4 राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा: **वादीगण**

वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 13.06.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 284/450 के खसरा नं0 665 की 3.7320 है0 कुल खसरा एक की कुल 3.7320 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता मनफुल खां पुत्र मारखां के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण व प्रतिवादगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित भूमि में परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण मनफुल खां के नाम उनके देहान्त के बाद भी आज तक चली आ रही है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा की वादभूमि का वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जवावदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में प्रतिवादी अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम डाबडी के खाता सं0 284/450 संवत 2075–78

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 1, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र मनफुल खां प्रदर्श 2, असल शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता मनफुल खां पुत्र मारखां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में शपथ पत्र में पत्नी बिमला, 2 पुत्र अलमूदीन, मजीद व दो पुत्री शकीला, जवैदा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 284/450 के खसरा नं0 665 की 3.7320 है0 कुल खसरा एक की कुल 3.7320 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता मनफुल खां पुत्र मारखां के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वादभूमि में वादी सं0 1 अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां व वादी सं0 2 मजीद पुत्र स्व0 मनफूल खां 1/2–1/2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 284/450 के खसरा नं0 665 की 3.7320 है0 कुल खसरा एक की कुल 3.7320 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता मनफुल खां पुत्र मारखां के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वादभूमि में वादी सं0 1 अलमूदीन पुत्र स्व0 मनफूल खां व वादी सं0 2 मजीद पुत्र स्व0 मनफूल खां 1/2–1/2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरा)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner